न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– **10/2004**
आर.सी.एम.एस. :– **2004/00002**
दायर तिथि :– **27.01.2004**
तारीख निर्णय :– **06.01.2020**

वादीगण :–

1. स्व. धरमा पुत्र मोतीजी के का.मु.
   1/1 देवाराम पुत्र धरमाराम
   1/2 रमेश पुत्र धरमाराम
2. स्व. टीकमा पुत्र मोतीजी के का.मु.
   2/1 लच्छाराम पुत्र टीकमाजी
   2/2 कपूराराम पुत्र टीकमाजी
   2/3 छोगाराम पुत्र टीकमाजी
   2/4 श्रीमती जीवी पुत्री टीकमाजी
   2/5 श्रीमती नेनु पुत्री टीकमाजी
3. खंगार पुत्र मोतीजी
4. स्व. भुदीया पुत्र मोतीजी के का.मु.
   4/1 मंशाराम पुत्र भुदाजी
   4/2 टेकाराम पुत्र भुदाजी
   4/3 वेलाराम पुत्र भुदाजी
   4/4 पुखराज पुत्र भुदाजी

जातिगण – कुम्हार, निवासीगण – पोयणा, तह. – सुमेरपुर, जिला – पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. भुबा पुत्र रामाजी के का.मु.
   1/1 निर्मल पुत्र भुबाजी
   1/2 फुलेश पुत्र भुबाजी
   1/3 श्रीमती शान्तिबाई पत्नि भुबाजी
2. स्व. जीवा पुत्र रामाजी के का.मु.
   2/1 पकाराम पुत्र जीवाराम
   2/2 भगाराम पुत्र जीवाराम
3. लीलाराम पुत्र हंसाजी
4. रामलाल पुत्र हंसाजी
5. बाबुलाल पुत्र हंसाजी
6. गणेश पुत्र हंसाजी
7. श्रीमती सांकली बाई पत्नि हंसाजी
   जातिगण – कुम्हार, निवासीगण – पोयणा
   तहसील – सुमेरपुर, जिला – पाली (राज.)
8. मोडा पुत्र वनाजी, जाति – मेघवाल, निवासी – पोयणा
   तहसील – सुमेरपुर जिला – पाली

उपस्थित :–

1. वकील वादी श्री गणपत लाल चौधरी उपस्थित
2. वकील प्रतिवादी श्री कान्तिलाल सोनी उपस्थित
3. सरकारी पैरोकार उपस्थित

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 06.01.2020

वाद में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) सरहद मौजा पोयणा, तहसील सुमेरपुर में स्थित पुराने खसरा नं. 69 रकबा 4.75 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तेनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त कृषि भूमि थी।

लगातार पेज 2.....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

जो पूर्व में मोती वल्द वाला कौम कुम्हार के खातेदारी में दर्ज थी। जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में उक्त इन्द्राज है। मोती जी की मृत्यु होने पर वारिसान धरमा, टिकमा, खंगारा व भूदिया पिसरान मोती जी के नाम का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है।जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026, 2027 से 2030 एवं 2031 से 2034 में उक्त इन्द्राज दर्ज किये हुए है।

(2) वक्त सैटलमेन्ट संवत 2037 के बाद उपरोक्त खसरा नं. 69 के हाल खसरा नं. 63 हुये। हाल खसरा नं. 63 रकबा 0.91 हैक्टेयर भूमि के नये नम्बर लेकर सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने उपरोक्त भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया। मिलान क्षेत्रफल में भी उपरोक्त भूमि को खसरा नं. 69 एवं 67 मीन से बनना दर्शाया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि इस खसरा नं. में पुराने खसरा नं. 69 का पूरा रकबा एवं पुराने खसरा नं. 67 का कुछ रकबा मिलाकर उक्त नये नम्बर 63 दर्ज किये गये है। इस भूमि का कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर में से 0.89 हैक्टेयर कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 69 का भाग है। जिस पर प्रतिवादी का कब्जा एवं काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है।

(3) प्रतिवादी की कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 67 की जिसका कुल रकबा साढे चौदह बीघा था, से नये बने खसरा नं. 60, 61, 62 व 63 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने बनने दर्शाये है, जिसका कुल रकबा 20 बीघों के लगभग होता है, जो पुराने रकबे से साढे पांच बीघा ज्यादा है जो प्रतिवादी के खातेदारी में ज्यादा दर्ज हो गयी।

प्रतिवादी सं. 1/1 लगाय 1/3 बाद तामिल अनुपस्थित रहे है। विधिवत् 3 बार आवाज लगायी गयी। 3 बार आवाजे लगाने पर भी प्रतिवादी सं. 1/1 लगाय 1/3 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध 10.01.2019 को एकतरफा कार्यवाही की गयी।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट/जबाव में यह बताया कि गत खसरा नं. 67 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 69 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नं. 60, 61, 62 व 63 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर भूमि भूबा, जीवा पि. रामा 1/3 लीलाराम, रामलाल, बाबुलाल, गणेशकुमार पि. हंसा, सांकली बाई बेवा हंसा 1/3 व मोडा पुत्र वना 1/3 खातेदार सेटलमेन्ट के वक्त दर्ज किये गये। गत खसरा नं. 69 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि हाल खसरा नं. 60 से 64 में जोडते हुये नये खातेदार 1/3–1/3 हिस्से दर्ज किये गये, जिसमें मोती वल्द वाला का नाम दर्ज होने से रह गया है। मौके पर हाल खसरा नं. 60 रकबा 0.66 हैक्टेयर में मोती के वारिसदारों में से केवल भूदाराम (चुन्नीलाल, वगैरह पि. भूदा) का कब्जा है। उक्त भूमि के गत खसरा नं. 69 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा अर्थात 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि ही हिस्से में आती है। वादी द्वारा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि के स्थान पर 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि का हक हिस्सा चाहा गया है। जो दिया जाना सम्भव नहीं है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं अप्रार्थी सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। विवेचन परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 69 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा थी।

विवेचन–परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 के खाता सं. 19 खसरा नं. 69 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण के दादा मोती वल्द वाला जाति कुम्हार के नाम दर्ज थी। मोती के फौत होने से उनके जायन्दा पुत्रों धरमा, टिकमा, खंगारा व भूरिया के नाम दर्ज हुई। साथ ही जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 के खाता सं. 41 खसरा नं. 67 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि हंसा, लुम्बा, जीवा, भूबा पिसरान रामा, नेमा, गेना, धरमा पिसरान लिखमा कुम्हार खातेदार दर्ज था।

सेटलमेन्ट सम्वत् 2037 के बाद गत खसरा नं. 69 के हाल खसरा नं. 63 हुए। हाल खसरा नं. 63 में 0.91 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई थी। जिसे सेटलमेन्ट के वक्त प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। गत खसरा नं. 67 व 69 का कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा होता है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान् के हाल खसरा नं. 60, 61, 62 व 63 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा मिलान के अनुसार हाल खसरा नं. 63 रकबा 0.91 हैक्टेयर गत खसरा नं. 69 व 67 मिन नम्बर से मिलकर बना हैं। जिससे गत खसरा नं. 69 का पूर्ण रकबा 0.89 हैक्टेयर व मिन नं. 67 का आंशिक रकबा 0.02 हैक्टेयर शामिल करके बनाया गया।

लगातार पेज 3.....

Scanned by CamScanner

इस प्रकार हाल खसरा नं. 63 पूराने खसरा नं. 69 के पूरे रकबे व खसरा नं. 67 के आंशिक भाग से मिलकर बना है।

नवीन खसरा नं. 60, 61, 62 व 63 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर में से खसरा नं. 60 रकबा 0.66 हैक्टेयर पर वादीगण का कब्जा काश्त है। चूंकि सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के दादा मोती के नाम 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जो जमाबन्दी सम्वत् सम्वत् 2031 से 2034 से स्पष्ट है। खसरा परिवर्तनशील रिकॉर्ड के आधार पर गत खसरा नं. 69 व 69 से हाल खसरा नं. 60, 61, 62 व 63 बने है।

उक्त सभी खसरा नम्बरान को एक खाते में शामिल किया गया परन्तु वादीगण के दादा मोतीजी का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि मोती के वारिसान उक्त रकबे पर काबिज है। अतः सम्पूर्ण विवेचन–परीक्षणोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि सेटलमेन्ट के वक्त सहवन से वादीगण के दादा श्री मोती का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया। अतः वादीगण स्व. धरमा पुत्र मोतीजी के का.मु. देवाराम पुत्र धरमाराम, रमेश पुत्र धरमाराम, स्व. टीकमा पुत्र मोतीजी के का.मु. लच्छाराम पुत्र टीकमाजी, कपूराराम पुत्र टीकमाजी, छोगाराम पुत्र टीकमाजी, श्रीमती जीवी पुत्री टीकमाजी, श्रीमती नेनु पुत्री टीकमाजी, खंगार पुत्र मोतीजी, स्व. भुदीया पुत्र मोतीजी के का.मु. मंशाराम पुत्र भुदाजी, टेकाराम पुत्र भुदाजी, वेलाराम पुत्र भुदाजी, पुखराज पुत्र भुदाजी जातिगण – कुम्हार, निवासीगण – पोयणा, तह. – सुमेरपुर, जिला – पाली को पूर्व खसरा नं. 69 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी रिकार्डेड भूमि का हाल खसरा नम्बर परिवर्तन पश्चात खसरा नं. 60 की भूमि रकबा 0.66 हैक्टेयर पर काबिज है। चूंकि हाल खसरा नं. 60 गत खसरा नं. 69 व 67 की भूमि से सेटलमेन्ट के वक्त बने है। साथ ही मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त लगातार चल रहा है। अतः वादीगण को खसरा नं. 60 के रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। पटवारी हल्का बामनेरा व तहसीलदार सुमेरपुर माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को सरेइजलास सुनाया गया।
सत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.13 16:50:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: